



पत्र सं०: 200 /आरएयू/यू०पी०ई०आर०सी० जॉच समिति

दिनांक : 20.03.2018

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषय:- दिनांक 16 फरवरी, 2018 पूर्वाह्न 11:00 बजे जॉच समिति की आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के विषयगत पत्रांक: यूपीईआरसी/निदेशक (टैरिफ)/2018-1908 दिनांक 19.02.2018 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक: 177/आरएयू/यूपीईआरसी दिनांक 08.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित वांछित कार्यवाही उचित प्रकार से सुनिश्चित होने हेतु मा० आयोग के आदेशों एवं सप्लाय कोड के प्राविधानों की स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है :-

1. ग्रामीण संयोजन

(क) मीटर रहित संयोजन

एलएमवी-1, एलएमवी-2, एलएमवी-5 तथा एलएमवी-8 श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु मा० आयोग के आदेश दिनांक 09.12.2016 द्वारा निम्न विवरणानुसार नॉरमेटिव कंजम्पशन नार्म्स अनुमोदित हुए थे :-

S. N.	Category	Existing (Old)	April, 2016 to October, 2016 (Supply of 14 hours)	Since November, 2016 (Supply of 18 Hours)
1	LMV-1: Domestic Rural	108kWh/Kw/month	126 kWh/Kw/month	144kWh/Kw/month
2	LMV-2: Non Domestic Rural	108kWh/ Kw/month	126 kWh/Kw/month	144kWh/ Kw/month
3	LMV-5: Private Tube Wells (Rural)	137.49 kWh/Kw/month	119.67kWh/BHP/month or 160.41 kWh/kW/month	136.76kWh/BHP/month or 183.32 kWh/kW/month
4	LMV-8: State Tube Wells	5343.53 kWh/connection/month	6234.12kWh/connection/month	7124.71 kWh/connection/month

उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं की इनर्जी एकाउन्टिंग उपरोक्त तालिका के अनुसार की जानी है। इनकी बिलिंग मा० आयोग के टैरिफ आदेश में अनमीटर्ड उपभोक्ताओं हेतु अनुमोदित दरों के अनुसार की जानी है।

(ख) मीटर सहित संयोजन

(i) एलएमवी-5 (ग्रामीण) के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के ग्रामीण मीटर सहित संयोजनों की मीटर रीडिंग की उपलब्धता नहीं होने पर इनकी इनर्जी एकाउन्टिंग तथा बिलिंग सप्लाय कोड-2005 के प्रस्तरों, विशेष रूप से 5.7 तथा 6.2 के अनुसार टैरिफ आदेश की दरों पर किया जाना है।

यदि इन ग्रामीण मीटर सहित संयोजनों की बिलिंग हेतु किसी स्थिति विशेष में सप्लाय कोड-2005 में कोई प्राविधान उपलब्ध नहीं है तो उक्त हेतु मा० आयोग के आदेश दिनांक 09.12.2016 में निम्न प्राविधान उपलब्ध है :-

"It is once again reiterated that the approved consumption norms will only be used for the purpose of energy accounting and the tariff of consumers will not change. For all billing purposes even in the cases of assessment, NA, NR, defective meter, meter not installed in a metered connection etc. the existing (old) consumption norms will be used till the Commission approves the new revised consumption norms based on studies."

(ii) एलएमवी-5 (ग्रामीण) उपभोक्ता श्रेणी के मीटर सहित संयोजनों की बिलिंग मा0 आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार किया जाना है, जो निम्नवत् है :-

Metered Supply

Fixed Charge	Minimum Charges	Energy Charge
Rs. 60.00 / BHP / month	Rs. 150 / BHP / month	Rs. 1.75 / kWh

Note: Minimum amount payable by a consumer under the category "Rural Schedule (Metered Supply) shall be Rs. 150 per BHP per month, till the installation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

Energy Efficient Pumps

Fixed Charge	Minimum Charges	Energy Charge
Rs. 60.00 / BHP / month	Rs. 130 / BHP / month	Rs. 1.50 / kWh

Note: Minimum amount payable by a consumer under the category "Rural Schedule (Energy Efficient Pumps) shall be Rs. 130 per BHP per month, till the installation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

2. शहरी संयोजन

(i) एलएमवी-5 श्रेणी के संयोजनों के अतिरिक्त अन्य शहरी संयोजनों की मीटर रीडिंग की उपलब्धता नहीं होने पर इनकी इनर्जी एकाउन्टिंग तथा बिलिंग सप्लाय कोड-2005 के प्राविधानों के अनुसार टैरिफ आदेश की दरों पर किया जाना है।

(ii) एलएमवी-5 श्रेणी के मीटर्ड उपभोक्ता की बिलिंग मा0 आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार किया जाना है, जो निम्नवत् है :-

For consumers getting supply as per **Urban Schedule** (Metered Supply) including consumers getting supply through rural feeders exempted from scheduled rostering or through co-generating radial feeders in villages and towns.

Fixed Charge	Minimum Charges	Energy Charge
Rs. 120.00 / BHP / month	Rs. 200 / BHP / month	Rs. 5.50 / kWh

Note: Minimum amount payable by a consumer under the category "Urban Schedule (Metered Supply) shall be Rs. 200 per BHP per month, till the installation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

For PTW consumers of Bundelkhand Area located in Gram Sabha, the minimum amount payable by a consumer shall be Rs. 150.00 per BHP per month, till the installation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.

अतएव कृपया मा0 आयोग द्वारा गठित जॉच समिति के कार्यवृत्त में वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर करते हुए उपरोक्त विवरण के अनुसार इनर्जी एकाउन्टिंग एवं बिलिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

Aparna. U.
(अपर्णा यू.)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 208 /आर०ए०यू०/यू०पी०ई०आर०सी० जॉच समिति तद्दिनांक 20.03. 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा), चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (वाणिज्य-2), पंचम तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), आर-एपीडीआरपी पार्ट-ए, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Aparna
(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक